

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 877-चार/1999 विरुद्ध आदेश दिनांक
06-04-1999 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण
क्रमांक 375/1996-97/अपील ।

.....
श्यामसुन्दर पुत्र लामचन्द
निवासी जौरासी तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरुद्ध

बाबूराव पुत्र चिमनराव पाटिल
निवासी हनुमानजी के मंदिर के पास,
मामा का बाजार, लशकर, तहसील व जिला
ग्वालियर

..... अनावेदक


.....
श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक-आवेदक

.....
:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 14/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-04-1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।



2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार पिछोर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जौरासी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1235 रकबा 4/3 बीघा के भूमिस्वामी अनावेदक है और उसकी ओर से प्रश्नाधीन भूमि पर वह कृषि कार्य करता चला आ रहा है एवं आवेदक द्वारा उससे प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है, इस कारण उक्त





भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये हैं अतः उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/1972-73/अ-46 दर्ज किया जाकर दिनांक 25-1-1980 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-01-1983 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर गुणदोष पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर दिनांक 4-8-1997 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जा चुकी है और आवेदक द्वारा कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व चाहा है, जबकि भूमिस्वामी द्वारा उसे भूमि नहीं दी गई है, अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06-04-1999 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा अपील निरस्त करने का कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में दिनांक 2-10-1959 की स्थिति देखी जायेगी और दिनांक 2-10-1959 को आवेदक का कब्जा था, इसलिये उसे भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है, चूंकि प्रश्नाधीन भूमि निजी स्वामित्व की भूमि थी, इसलिये भूमि शासकीय घोषित करने के संबंध में अपील प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को स्पष्टतः भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त

होने के बावजूद भी उसका आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2004 आरएन 151 एवं 1978 आरएन 36 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं ।


4/ प्रकरण में अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।


5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में शासकीय घोषित की जा चुकी है, अतः अनावेदक द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि शासकीय भूमि के पट्टे पर देने का अधिकार अनावेदक को नहीं था । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-04-1999 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 878-चार/1999 पर भी लागू होगा ।

अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में सलग्न की जाये ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर